तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16-05-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 21-05-24 को पेश हों। Kalimu
21-05-24	पत्रावली पेश हुई। वादीनी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई। पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादीनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला—बून्दी(राज0)

दावा संख्या 87 / 2023 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 03.10.2023 — श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

सुगना बाई पत्नी हेमराज जाति मीना निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।

—वादीनी

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. मुरलीधर पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. रंमीला बाई पुत्री रामरतन जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
4. केदारी बाई पत्नी रामरतन जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
5. विमला पत्नी स्व0 कुन्ज बिहारी जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राजस्थान।
6. गोलिमा पुत्री कुन्जबिहारी नाबालिग संरक्षक माता विमला पत्नी कुन्जबिहारी जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
7. हरिओम पुत्र कुन्जबिहारी नाबालिग संरक्षक माता विमला बाई पत्नी कुन्जबिहारी जाति मीना निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—प्रतिवादीगण

वाद — खातेदारी घोषणा

अन्तर्गत धारा 88,89 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ता:— 1. श्री महेन्द्र रेबारी (अधिवक्ता वादीनी)

2. प्रतिवादीगण 1 लगायत 7(अनुपस्थित)

निर्णय — दिनांक:—21.05.2024

वादीनी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 398 रकबा 0.48है0, खसरा संख्या 399 रकबा 0.45है0, खसरा संख्या 400 रकबा 0.52है0, खसरा संख्या 52 रकबा 0.46है0, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

संख्या 939 रकबा 0.03है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.94 है0 वाके ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में विस्थित है जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रतिवादीगण केदारी बाई, देवेन्द्र कुमार, मुरलीधर, रमीला बाई तथा कुन्जबिहारी थे, प्रतिवादी कुन्जबिहरी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उक्त कृषि भूमि में से खसरा संख्या 398 रकबा 0.48है सम्पूर्ण तथा खसरा संख्या 399 रकबा 0.45 है0 में से 0.16है0 कुल रकबा 0.64है0 को उपरोक्त खातेदार द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 29.04.2021 को श्रीमती सुगना बाई पत्नी हेमराज जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ को बेचान कर दिया है तभी से क्रेता सुगना बाई उक्त 0.64है0 कृषि भूमि पर बतौर खातेदार टीनेन्ट काबिज होकर काश्तकारी करती आ रही है।

वादीनी द्वारा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 29.04.2021 के जर्ये खाता में नाम दर्ज करवाने हेतु इन्तकाल के लिए पटवारी को व सरपंच को आवेदन पत्र दिया था किन्तु वादीनी के नाम इन्तकाल नहीं खोला गया और विक्रय के बाद प्रतिवादी कुन्जबिहारी की मृत्यु पश्चात् इन्तकाल इसके उसके पुत्र, पुत्री व विधवा जो वाद पत्र प्रतिवादीगण 5,6,7 के रूप में अंकित है के नाम खोल दिया गया जो गलत व अवैध है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर उक्त वाद विषयक विक्रय की गई कृषि भूमि पर विक्रय के आधार पर इन्तकाल तस्दीक करना चाहिए तथा विक्रय शुदा पर वादीनी स्वतः ही खातेदार टीनेन्ट बन चुकी है। विक्रयशुदा वाद विषयक कृषि भूमि पर फौती इन्तकाल खौल दिया जाना प्रथम दृष्ट्या ही शून्य है।

वादिनी द्वारा उक्त कृषि भूमि का खाता में दर्जवाने के लिये प्रतिवादीगणों से निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपनी व्यस्थता बताते हुए बाद में नाम दर्ज करवाने का बहाना बनाते हुए नाम दर्ज नहीं करवाया गया। वादिनी द्वारा अन्तिम बार दिनांक 12.09.2023 को प्रतिवादीगण से निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा तहसील कार्यालय एवं न्यायालय में जाकर दावा दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु कहा गया जो वाद का कारण है। अन्त में वादीनी द्वारा निवेदन किया गया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 398 रकबा 0.48है0, खसरा संख्या 399 रकबा 0.45है0 में से 0.16है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64है0 वाके ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ में विस्थित है का वादीनी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जावें।

वादीनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर वादीनी के साक्ष्य करवाये गये। वादीनी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र व असल राजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश किया। वादीनी को शपथ दिलवाई गई। वादीनी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2074–77, प्रदर्श–2 असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श करवाये गये। वादीनी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीनी के अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए वादीनी का वाद पत्र स्वीकार कर वाद विषयक आराजी पर वादीनी को खातेदार कृषक घोषित कर प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करने का निवेदन किया गया। वादीनी अधिवक्ता ने वाद पत्र के समर्थन पूर्व न्यायिक दृष्टांत RRC,1998 Shankar lal vs Mansaram&Ors page no 423, RRC,1999 Bajranga & Ors Vs Kalu Ram page no 291 पेश किया। बहस समाहत पत्रावली की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

हमारे द्वारा वादीनी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रस्तुत नजीरों एवं कानून का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बेचाननामें का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष बेचानकर्ता केदारीबाई पत्नी रामरतन, कुन्जबिहारी पुत्र रामरतन, देवेन्द्र कुमार पुत्र रामरतन, मुरलीधर पुत्र रामरतन, रमीलाबाई पुत्री रामरतन जातियान मीना निवासीगण ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ ने अपने संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 26 खसरा सं 398 रकबा 0.48है0 सम्पूर्ण एवं खसरा संख्या 399 रकबा 0.45है0 में से रकबा 0.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64है0 की चर्तुर्थसीमा का अंकन करते हुए दिनांक 29.04.2021 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वितीय पक्ष सुगना बाई पत्नी हेमराज जाति मीना निवासी ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ के पक्ष में बैचान कर दी गई है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में यह भी अंकन किया गया है कि प्रथम पक्ष द्वारा उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि का उचित प्रतिफल स्वीकार कर उक्त विक्रय की गई भूमि का कब्जा व समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष(वादिनी) सुगना बाई को संभला दिया है। यदि रजिस्टर्ड बेचान पत्र में यह तथ्य लिखा होता है कि भूमि का कब्जा बेचानकर्ता ने खरीददार को दिया गया है तो कानूनी प्रावधान यही होगा कि क्रेता को संबंधित भूमि का कब्जा मिल गया है तथा रजिस्टर्ड बेचान पत्र के आधार पर पंजीकरण की सूचना मिलते ही तहसीलदार द्वारा संबंधित नामान्तकरण खोला जाकर तस्दीक किया जाना चाहिये था परन्तु ऐसी कार्यवाही तहसीलदार द्वारा नहीं की गई। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074—2077 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि पर नामान्तकरण संख्या 914 दिनांक 11.10.2022 से कुन्जबिहारी की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण 5 लगायत 7 के नाम विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है इस आधार पर वादीनी के अधिकार कम अथवा समाप्त नहीं हो जाते है। प्रतिवादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.04.2021 के संबंध में कोई आपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत की नहीं गई है न ही वर्तमान में ऐसा कोई अभिलेख हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत विक्रय पत्र फर्जी है। वादीनी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीनी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 398 रकबा 0.48है सम्पूर्ण तथा खसरा संख्या 399 रकबा 0.45 है0 में से 0.16है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64है0 वाके ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के नाम को विलोपित किया जाकर वादीनी सुगना बाई पत्नी हेमराज जाति मीना निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है उक्त वाद विषयक आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी के नाम का अंकन किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)
लाखेरी (बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी..............................मुकाम.......................लाखेरी..........................
व इजलास........**श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस)**..

सुगना बाई पत्नी हेमराज जाति मीना बनाम निवासी ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी,	**1. देवेन्द्र कुमार पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान वगैरह**
—वादी	**—प्रतिवादीगण**

दावा बाबत .... 88,89 आर0टी0एक्ट..........

मुकदमा नम्बर 87/दावा/2023 सन् ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे...........व हाजिरी .....वादीनी अधिवक्ता श्री महेन्द्र रेबारी...... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीनी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। वाद विषयक आराजी खसरा संख्या 398 रकबा 0.48है सम्पूर्ण तथा खसरा संख्या 399 रकबा 0.45 है0 में से 0.16है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64है0 वाके ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के नाम को विलोपित किया जाकर वादीनी सुगना बाई पत्नी हेमराज जाति मीना निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वाद विषयक आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी के नाम का अंकन किया जावे।
निज...मुबलिग...बाबत..
................खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....
..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **21** माह **05** सन् **2024** को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा लाखेरी(बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड्रिकी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सुगना बाई पत्नी हेमराज जाति मीना निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

—वादीनी

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. मुरलीधर पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
3. रंमीला बाई पुत्री रामरतन जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान
4. केदारी बाई पत्नी रामरतन जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
5. विमला पत्नी स्व0 कुन्ज बिहारी जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
6. गोलिमा पुत्री कुन्जबिहारी नाबालिग संरक्षक माता विमला पत्नी कुन्जबिहारी जाति मीना निवासी निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
7. हरिओम पुत्र कुन्जबिहारी नाबालिग संरक्षक माता विमला बाई पत्नी कुन्जबिहारी जाति मीना निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)